35070 FIRST

कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592- 232967, फैक्स– 236976

क्रमांक / मा0चि0 / विदिशा, दिनांक / /19

प्रति,

Reliance JioInfocomm Ltd.,
3rd floor, Block No.1,DB City,
M.P. Nagar,
Bhopal

विषय :– विदिशा जिलें के अंतर्गत Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route के निर्माण हेतु 0.799 हेक्टेयर वनभूमि Reliance Jio ,3rd floor, Block No.1,DB City,M.P. Nagar, Bhopal को उपयोग पर देने बावत।(ऑन लाईन प्रकरण क्र. / FP / MP / Others / 35070 /2018)

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(कक्ष भू–प्रबंध)भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3550 दिनांक 15 / 11 / 2018 एवं मुख्य वन संरक्षक,भोपाल वृत्त, भोपाल का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 783 दिनांक 04 / 02 / 2019।

––––00––––

विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप का आवेदन आनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तद्उपरान्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, ग्यारसपुर से स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त म0प्र0शासन वन विभाग म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं एफ –5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14 / 12 / 2005 एवं एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 01 / 07 / 2009 तथा अपर मुख्य वन संरक्षक(भू0प्र0) के पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28 / 10 / 2015 एवं एफ–11 / 2017 / 10–11 / 2586 दिनांक 01 / 09 / 2017 से जारी दिशा निर्देशानुसार Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route आप्टीकल फाइबर केवल बिछाने की प्रथम चरण सैद्वातिक स्वीकृति औपचारिक अनुमोदन के आधार पर निम्न शर्तो के अधीन दी जानी है। निहित शर्तो के पालन उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

आप्टीकल फाइबर केवल बिछाने में निम्नानुसार वन क्षेत्र प्रभावित होगा :–

क्र.	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई मीटर में	चौड़ाई से. मी. में	आवेदित क्षेत्रफल है0 में
1	विदिशा	विदिशा	RF-232	0700	0.50	0.035
			RF-238	1310	0.50	0.066
			RF-246	1200	0.50	0.06
			RF-247	1100	0.50	0.055
			RF-266	1583	0.50	0.079
			RF-263 RF-263A	1429	0.50	0.071
			RF-261A RF-259A	1400	0.50	0.07
			RF-219	1500	0.50	0.075
			PF-488	150	0.50	0.007
			PF-490	1725	0.50	0.086
			PF-487	960	0.50	0.048
			PF-501	1185	0.50	0.059
			PF-504	1750	0.50	0.087
	योग			**15.992**	**0.50**	**0.799**

आवेदक संस्थान द्वारा 15.632 मीटर लंबाई एवं 0.5 मीटर चौडाई में ट्रेंच लाईन खोदी जाना है इस प्रकार कुल वन क्षेत्र 0.799 हेक्टेयर प्रभावित होगा।

(15)

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा।
2. केवल लाईन बिछाने वाली ट्रेंच लाईन का आकार 0.5 मी0 चौडाई से अधिक नही होगा।
3. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य पाईप लाईन को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।
4. आप्टीकल फाइबर केवल लाईन के रख–रखाव की अनुमति आवेदन प्राप्त होने पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
5. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई ट्रेंच लाईन से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
6. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र के बाहर से लाकर किया जायेगा।
7. यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे है फिर भी ट्रेंच लाईन खोदते समय वृक्षों को हानि नही पहुंचाई जायेगी।
8. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी विदिशा द्वारा की गयी निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल विदिशा द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होंगी। वचन पत्र देवें।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू0प्र0),के पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/3193 दिनांक 12/10/2018 के निर्देशानुसार राशि रू0 100/–(सौ रूपये) का कैम्पा खाते के Others मद में राशि जमा करे । साथ ही वचन पत्र देवे कि भविष्य में शासन द्वारा कोई भी राशि में संशोधन होता है तो आवेदक संस्थान भुगतान करने हेतु वचनवद्ध रहेगा।
10. आवेदक संस्थान Reliance 4G project Berasia-Baruakhar-Sironj route के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर ट्रेंच लाईन खोदकर आप्टीकल फाइबर केवल लाईन बिछायेगा जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज/शमशाबाद एवं उप वनमण्डल अधिकारी सिरोंज/बासौदा ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया है।
11. प्रकरण में 0.799 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इस हेतु तहसीलदार का प्रमाण पत्र देवें कि इसमें कोई राजस्व वन क्षेत्र शामिल नहीं है।

संदर्भित पत्र के अनुसार शर्त क्रमांक 1 से 11 तक की शर्तो का पालन हेतु आवेदक संस्था को लेख किया जावे। उक्त अधिरोपित शर्तो के अनुसार सहमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि आवेदक विभाग को अवगत कराया जा सकें।

– सही –

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

पृ0 क्रमांक/मा0चि0/ 638 — विदिशा, दिनांक 13/02/19

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक,भोपाल वृत्त,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
15-2-19